Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वलियर, कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / 2018 निगरानी – 2583/2018/रतलाम/भू.रा.

नवीन प्रकरण – 2583/2018

1. राधेयाम पिता कालूजी, जाती– गायरी, निवासी – तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.)

2. प्रभुलाल पिता कालूजी, जाती– गायरी, निवासी तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

कंवरलाल पिता गोवर्धन जी जाट, निवासी तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.)

.... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, पिपलोदा के प्रकरण क्रमांक 93–ए / 121 / 2017–18 सीमांकन दिनांक 28 / 03 / 2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानी का सक्षिप्त विवरण –

01. यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, पिपलोदा के न्यायालय में प्रतिप्रार्थी द्वारा धारा 129 भू.रा.सं. के अंतर्गत भूमि सर्वे नं. 973 व 974 / 1 रकबा 0.020 व 0.906 हे. स्थित ग्राम पिपलोदा की कृषि भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजस्व निरीक्षक वृत–2 द्वारा पडोसी कृषक को दिनांक 20 / 03 / 2018 को सूचना पत्र सीमांकन हेतु जारी किया गया, जिसमें दिनांक 24 / 03 / 2018 नियत होकर गोले में ... उसके बाद इसी सूचना पत्र के नीचे 24 / 03 / 2018 को सीमांकन

XX!X(a)-BR(H)-11

(९५)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2583/2018/रतलाम/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य (3)	